दिनांक 10.02.2021 में आहुत राज्य नदी कायाकल्प समिति (River Rejuvenation committee), उत्तराखण्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 10.02.2021 को आहुत राज्य नदी कायाकल्प समिति की 8वीं बैठक प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आहुत की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रहीं:–

1. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य कार्याधिकारी, कैम्पा, वन विभाग, देहरादून।
2. एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्रीमति नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. श्री उदयराज सिंह, परियोजना निदेशक, एस0पी0एम0जी0, देहरादून।
5. श्री के0के0 रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. श्री अनुपम द्विवेदी, उपनिदेशक, उद्योग विभाग, देहरादून।
7. श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
8. श्री सुशील चन्द, सहायक अभियन्ता, सिडकुल, देहरादून।
9. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. श्री सुभाष चन्द पंवार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.10.2020 के माध्यम से पुनर्गठित नदी कायाकल्प समिति (River Rejuvenation Committee) के नवीन सदस्यों का स्वागत एवं परिचय के साथ–साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 673/2019, New Item Published in Titled "More Rive Stretch are now Critically Polluted" में पारित आदेश के क्रम में राज्य में चिन्हित 09 Polluted River Stretch हेतु वर्तमान तक किये गये कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में चिन्हित 09 Polluted Rive Stretch हेतु बनाये गये सभी एक्शन प्लान के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा स्वीकृत कार्य–योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों को जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 की धारा 33ए के तहत निर्देश निर्गत किये गये। उक्त एक्शन प्लान की प्रगति समीक्षा माहवार सचिव, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

सदस्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सीवेज मैनेजमेन्ट के तहत राज्य में चिन्हित 06 नदियों के एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज मैनेजमेन्ट हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0 (National Mission for Clean Ganga) नई दिल्ली को प्रेषित् की जा चुकी है। डी0पी0आर0 के मूल्यांकन हेतु एन0एम0सी0जी0 (National Mission for Clean Ganga) नई दिल्ली द्वारा Third Party के रूप में Tania Milia University को नामित किया गया है, जिसकी आख्या अपेक्षित है।

कल्याणी नदी हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। जबकि गंगा व सुसवा नदी पर सीवेज के शुद्धिकरण हेतु क्रमशः 3–3 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित है। इसके अतिरिक्त उक्त नदियों में निस्तारित

घरेलू उत्प्रवाह के 19 ड्रेनों के Bio-Remediation हेतु एन0एम0सी0जी0 द्वारा रु0 2.59 करोड़ की डी0पी0आर0 की स्वीकृति की गयी है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 09 Polluted River Stretch के अन्तर्गत 11 नगर निगम स्थापित हैं, जिसमें 02 नगर निगम क्रमशः हरिद्वार एवं देहरादून में संयुक्त ठोस अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा (CSWTDF) प्लांट स्थापित एवं संचालित हैं। अब शेष 09 नगर निगमों की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है। अध्यक्ष, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 09 स्थानीय निकायों में अतिशीघ्र प्लांट स्थापना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत अवगत कराया गया कि राज्य में चिन्हित 09 नदियों के अन्तर्गत स्थापित सभी हेल्थ केयर फैसेलिटि (Health Care Facilities) द्वारा जनित अपशिष्ट की निस्तारण राज्य में स्थापित 02 संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) के माध्यम से किया जा रहा है तथा उक्त संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन किया जा रहा है।

औद्योगिक उत्प्रवाह के निस्तारण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य में चिन्हित 09 नदियों के Catchment Area में स्थापित 02 सी0ई0टी0पी0 तथा सभी उद्योग द्वारा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जी0पी0आई0 उद्योगों का निरीक्षण भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चयनित Third Party Agency द्वारा किया जा रहा है।

Catchment Area Treatment के सन्दर्भ में मुख्य कार्याधिकारी, कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि Catchment Area Treatment हेतु डी0पी0आर0 Indian Institute of Water & Soil Conservation के सहयोग से बनायी जानी है, जिस हेतु IIWSC को दो बार लिखित/मौखिक रूप से सहयोग हेतु अवगत कराया गया है। किन्तु उनके स्तर से किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण डी0पी0आर0 नहीं बनायी जा सकी। श्री सुहाग (CEO), डी0एफ0ओ0 द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः से IIWSC व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये। तदोपरांत भी सहयोग प्राप्त न होने पर डी0एफ0ओ0 के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार की जाए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में डी0पी0आर0 तैयर कर, नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व Catchment Area Treatment पर क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, समिति द्वारा सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि चिन्हित 09 नदियों के Flow Data Measurement कर प्राप्त डाटा को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साक्षा किया जाये।

सदस्य सचिव द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में राज्य में एक नदी को Model Polluted River Stretch के रूप में चयनित किये जाने विषयक अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य में चयनित 09 Polluted River Stretch में से 01 Polluted River Stretch गंगा नदी (हरिद्वार से सुल्तानपुर) का चयन Model Polluted River Stretch के रूप मे किया गया है। उक्त Stretch के Surface Water Quality में निर्धारित परिचालकों में क्रमशः pH, DO, BOD, Total Coliform की मात्रा का आंकलन वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक किया गया है, जिसमें pH की मात्रा (6.5 to 8.5) निर्धारित मानक के अनुरूप रही है तथा DO की मात्रा निर्धारित मात्रा (>5mg/l) के सापेक्ष 9.25 mg/l है। इसी तरह की BOD मात्रा, निर्धारित

मात्रा (<3 mg/l) के सापेक्ष 1.22 mg/l है। Total Coliform की मात्रा (500MPN/100ML), निर्धारित मात्रा के सापेक्ष 108.33 MPN/100ml पाया गयी है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि उक्त Stretch द्वारा Surface Water Quality हेतु निर्धारित मानक category B (Bathing Criteria Quality) को प्राप्त कर लिया गया है, जिस कारण इसका चयन Model Stretch के रूप में चयनित किया गया है। Ganga (Haridwar to Sultanpur) Stretch में निस्तारित सभी ड्रेनस को tapped किया जा चुका है तथा जनित घरेलू उत्प्रवाह को शत–प्रतिशत स्थापित 03 एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त Stretch में ठोस अपशिष्ट व जैव चिकित्सा अपशिष्ट का शति–प्रतिशत मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जा रहा है। साथ ही उक्त Stretch में किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जाता है, जिस कारण नदी Bathing Criteria की श्रेणी बी में निर्धारित मानकों का पालन कर रही हैं।

उपरोक्तानुसार Ganga (Haridwar to Sultanpur) Stretch को Model Polluted River Stretch को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित् किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एच.ओ. / E70-183-344(II)/7376-1488, दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:–

1. अध्यक्ष, राज्य नदी कायाकल्प समिति / प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. निदेशक, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, गौरा देवी पर्यावरण, 46–बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
3. मुख्य कार्याधिकारी, कैम्पा, वन विभाग, राजपुर रोड़, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, एस0पी0एम0जी0 (नमामि गंगे), देहरादून।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31 / 62 राजपुर रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, औद्योगिक निदेशालय, औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर, देहरादून।
9. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली–32।
10. कार्यकारी निदेशक, एन0एम0सी0जी0 (**National Mission for Clean Ganga**), 1st फ्लोर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली–110002।

सदस्य सचिव